



# UTTHAN-CENTRE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION

Registered under Societies Registration Act XXI of 1860  
Registration No. S-29394 of 1996  
Registration No. 136230098 under Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976  
Exempted Income Tax No. 58-59/36/80G/Tech/Alld/2002-2003  
**NATIONAL N.G.O.**

**Uttar Pradesh Office :**  
Dr. KAUSHAL KUMAR  
18-A, Auckland Road, Civil Lines  
Allahabad-211001 (U.P.) INDIA  
Tel.: 0532-2615847  
0532-2420454, 2552226 (O)  
Mobile : 9335154677  
Fax : 0532-2420984, 2552112

**Madhya Pradesh Office :**  
DAYA SHANKAR MISHRA  
12/32, Amahiya  
Rewa- 486001 (M.P.)  
Phone : 07662-241001

**Chattisgarh Office :**  
DHARMESH DUBE  
Sakari, District Bilaspur  
Chattisgarh  
Phone : 07752-283317

Dr. D.N. Tewari  
PRESIDENT

Dr. Kaushal Kumar  
GENERAL SECRETARY

Ref. Utth/10.11/13/B.T.C/33

Date: 08/06/13

To,

The Regional Director,  
Northern Regional Committee,  
National Council for Teacher Education  
20/198, Kaveri Path, Near Mansarovar Stadium,  
Mansarovar, Jaipur, Rajasthan

Subject: Regarding the clarification of deficiencies

Ref No: F.No. NRCAPP-4910/D.El.Ed.(Co. Ed)/UP/DLI/2013-14/45737

Respected Sir,

This letter is in the response of the letter dated 27 May 2013 Ref No. F.No. NRCAPP-4910/D.El.Ed.(Co. Ed)/UP/DLI/2013-14/45737 in which the deficiency in some of the points were pointed out.

The deficiencies which have been pointed out and its clarifications are mentioned below:

**Deficiency No. 1.** The institute is running some technical course (B.TECH., B. PHARM, M.PHARM, M.B.A.) hence the institution is required to submit earmarked area of land and building plan.

**Clarification Against Deficiency:** Earmarked area of land and building plan of Shambhunath College of Education is attached. The other institutions of Shambhunath Group of Institutions; Shambhunath Institute of Engineering and Technology (SIET) and Shambhunath Institute of Pharmacy (SIP) are situated at two other locations on different plots. There is no connection between the earmarked area of land and building of Shambhunath College of Education (SCE) with any other institution of the society. The mentioned plot nos. 89, 90 and 91 are exclusively for Shambhunath College of Education. (Annex. No. 3)

**Deficiency No. 2.** The name of the society is mentioned in the registration certificate of the society is not matching with application form.

  
Secretary  
Utthan-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211001

  
Utthan-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211001

Correspondence Address : 18-A Auckland Road, Allahabad - 211001 (U.P.)

**Clarification Against Deficiency:** I have filled the short name of the society as Utthan in the online application form. The full name is Utthan- Center for Sustainable Development & Poverty Alleviation. For further references the bi-laws of the society is attached herewith. (Annex. No. 4)

**Deficiency No. 3.** Originally notarized change of land use (CLU) certificate issued by S.D.M. under section 143 of UP Land Act is not submitted.

**Clarification Against Deficiency:** Originally notarized change of land use (CLU) certificate issued by S.D.M. is attached. (Annex. No. 5)

**Deficiency No. 4.** The institution is required to submit an affidavit of Rs. 100/= stamp paper as per the format enclosed in support of information required as per clause 8(2), 8(3) and 8(7) (ii) of the NCTE regulations 2009 and page 4 and 5 of the online application form.

**Clarification Against Deficiency:** Along with this clarification form an affidavit of Rs. 100/= stamp paper as per the format which was enclosed is attached with this letter.

I removed all the deficiencies which have been pointed out. With this reply letter I have attached an Affidavit in support of the reply of the points in which deficiencies were found. In support of some points Annexure are attached.

All the necessary documents/proofs have been attached with the compliance.

Please do the needful.

Yours Faithfully



(Dr. Kaushal Kumar)

**Secretary, Utthan, Center for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation, Allahabad**



**Secretary  
Utthan-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211001**



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 115481

Dr. Kaushal Kumar son of Late S. N. Tewari and aged about 62 years resident of 102B/3 Beniganj, Allahabad, U.P and Secretary of the Society i.e. Utthan Center for Sustainable Development & Poverty Alleviation, Allahabad which is Registered vide Regd. No. S-29394 dated 10, April 1996 and the same is established and operated for 'not for profit' under Societies Act XXI of 1860 (copy attached, Annex. No. 1), I hereby make an application vide No. NRCAPP4910 to the Northern Regional Committee of the National Council for Teacher Education at Jaipur, Rajasthan seeking grant of recognition for D.El.Ed. course, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That the society Utthan Center for Sustainable Development & Poverty Alleviation, Allahabad has passed a resolution on dated 27 December 2012 for submitting the application for recognition of D.El.Ed. course in the name of Shambhunath College of Education with intake under Section 14/15 of the NCET Act, 1993. to the NRC, NCTE and as per this resolution the institution has submitted this application NRC APP No. NRCAPP4910 (2013-14). (A copy of the resolution is attached Annex. No. 2).
2. That Utthan Center for Sustainable Development & Poverty Alleviation, Allahabad has applied for only one course for the basic unit on the land for which land documents have been submitted with this application NRCAPP4910 (2013-14), as per clause 8(2) of the NCTE Regulations, 2009. Also there is no application is pending with the NRC for decision and no other application submitted by the Society with the said application in the NRC, NCTE, Jaipur, Rajasthan.

1

Secretary

Utthan-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211001

K.K. Tewari

Utthan-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211001

3. That the land & building of the institution for the proposed teacher training programme with this application i.e. NRCAPP NO. NRCAPP4910 (2013-14) are exclusively meant for running the proposed teacher education programme ie. D.El.Ed. and the institution has a well demarcated land area as specified by the norms. All the documents submitted by the institution with this application concerning the land & building are duly verified by the Govt. approved officials/local body. No other institution shall be allowed within its demarcated area or building and shall not have any other course(s) in its building as per clause 8 (7) (ii) of the NCTE Regulations, 2009. The land of the institution for which land documents has been submitted is free from all encumbrances.
4. That the details/information of existing teacher education programme/courses and details of programmes other than Teacher Education given by the institution at page No. 2 of the said application (NRC APP No. NRCAPP4910) are true and no details/information have been concealed by the Utthan Center for Sustainable Development & Poverty Alleviation, Allahabad.

I do hereby swear that the above contents of the Affidavit are true and correct and in case they are found to be false or incorrect, the Utthan Center for Sustainable Development & Poverty Alleviation, Allahabad shall be liable for civil and criminal action under the relevant provisions of the Indian Penal Code and other relevant laws.



Signature: *R.K. Kaushal*

The document is before me  
 at 102B/3 Beniganj, Allahabad  
 Court compound, 102B/3 Beniganj, Allahabad  
 The execution is/are done by Dr. Kaushal Kumar  
 of the document has been read and the contents  
 executed who admits that the same has  
 true is hence the document attested.

Name of the Applicant: Dr. Kaushal Kumar

Address: 102B/3 Beniganj, Allahabad, U.P

*R.B. Singh*  
 R.B. SINGH  
 Notary  
 Allahabad

*R.B. Singh*  
 R.B. Singh  
 Advocate Notary  
 Allahabad

संख्या- 2774

दिनांक 26/07/2012



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण - पत्र  
(अधीनस्थ संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या 995 / 2012-13

फाइल संख्या A2-15428

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि

उत्थान सेक्टर कार संख्या 10  
अवधि में 02 रण्ड पावरी खुली विद्युत 10  
आवृत्ति 03 रॉड, अलाहबाद।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1242 / 02-03

दिनांक 25-08-02 को दिनांक 25-08-12 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1000/- रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 23.08.2012

Secretary  
Urban-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Lucknow-221001

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश।

संख्या - 3381  
30-10-57



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र



नवीकरण संख्या - 800 - 2007

दस्तावेज संख्या - AL-15479

पता द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि: उज्ज्वल सोसाइटी शारदेसेधिल

डेवलपमेंट एण्ड पावरि शक्तिशिक्षण, 1833 क्राकलीन गेट,

उज्ज्वल सोसाइटी को दिये गये रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र संख्या 1242/2007-2008

दिनांक 25-09-2007 को दिनांक 25-09-2007 से दस वर्ष

की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

दिए गए नवीकरण फीस सभ्य रूप से प्राप्त हो गयी है।

29-10-2007

Secretary  
Ujjwan-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211001

Secretary  
Ujjwan-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211001

संख्या 3753 पत्रावली सं०-1 F11-15-4/9 दिनांक 25.8.22



सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण  
का  
प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या 1242 2002 2003

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उल्हास लैन्डर फार्म  
सस्टेनेबिल डेवलपमेंट एंड पावटी शक्ति शिक्षण, 18 ए  
इमकलेण्ड रोड, इला फ्लोर

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम,  
1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र 25.9.22  
तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक पच्चीस सितम्बर दो हजार ०२ को  
मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर  
[Signature]


[Signature]  
सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन-  
Development & Poverty Alleviation  
उत्तर प्रदेश।  
25.9.22  
Secretary


## स्मृति पत्र

संस्था का नाम : उत्थान सेंटर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट  
 एण्ड पावर्टी एलीमिनेशन  
 संस्था का पता : 18 ए आकलैण्ड रोड,  
 इलाहाबाद (उ०प्र०)  
 कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत

### उद्देश्य :

- (1) संस्था के अन्तर्गत पर्यावरण/ग्रामीण/नगरीय विभाग/महिले वस्ती सुधार कार्यक्रम का संचालन करना, रोजगार पूरक (कम्प्यूटर आदि) प्रशिक्षण देना तथा स्वतः राजगार स्थापित कराके स्वावलम्बी करना।
- (2) महिला-बाल विकास हेतु डे केंद्र सेंटर, हस्तकला (गढ़ाई, गुनाई, मूँज के सामान बनाना आदि) स्वरोजगार पूरक प्रशिक्षण (कम्प्यूटर आदि) शिक्षण की व्यवस्था करके आत्म निर्भर बनाना तथा राष्ट्रीय विद्यार्थी मंडल में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना। बच्चों का बचपन लीटने के लिये उनके मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा व साहसिक कार्यक्रमों के लिये विभिन्न प्रकार के योजनाओं का संचालन करना।
- (3) शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग बच्चों/युवकों/प्राढ़ को आत्म निर्भर बनाने के लिये शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग बच्चों/युवकों/प्राढ़ को आत्म निर्भर बनाने के लिये प्रशिक्षण निःशुल्क चिकित्सा पुनर्वास इत्यादि की व्यवस्था करना। कुष्ठ, अपाहिज एवं सक्कामक रोगों से ग्रस्त निराश्रित लोगों को चिकित्सा व्यवस्था व पुनर्वास करना।
- (4) स्वयंजयन्ती रोजगार योजना, उद्योगिता विकास, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि स्वरोजगार पूरक शिक्षण-प्रशिक्षण दंकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना।
- (5) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को सम्पादित करना इसके लिये धेरिटेविल अस्पताल, परिवार कल्याण परामर्श केंद्र इत्यादि की व्यवस्था करके आर० सी० एच० प्रोग्राम टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच व उपचार तथा प्राकृतिक परिवार कल्याण इत्यादि कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।



  
 Secretary  
 Utthan-Centre for Sustainable  
 Development & Poverty Alleviation  
 Allahabad-211001  
 ११-०२  
 ११-०२  
 ११-०२

Secretary  
 Utthan-Centre for Sustainable  
 Development & Poverty Alleviation  
 Allahabad-211001



(13) विज्ञान का जीवन में उपयोग के प्रति जन सामान्य को जागरूक बनाना, तकनीकी पर आधारित कम लागत में भवन/आवास, कृषि यंत्रों/दैनिक उपयोग की वस्तुओं के डिजाइन, प्रशिक्षण व्यवस्था करना व अनुसंधान करना तथा तकनीकी स्थानांतरण प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करना।


(14) मीन पालन/पशुपालन/मत्स्य पालन के बारे में लोगों को अयोग्य कराना एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। मत्स्य पालन विभाग, समाज कल्याण विभाग से अनुदान एवं राहायता प्राप्त करना तथा मत्स्य पालन के लिये तालाबों का गदटा सम्बन्धित विभाग से करवाने का प्रयास करना। मत्स्य पालन एवं उसकी आय से उद्देश्य पूर्ण, चेरिटेबिल कार्य व सामाजिक कार्य करना।

(15) आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, अनुसूचित जाति, अल्पजाति तथा स्थूल समुदाय के सामाजिक शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास की व्यवस्था करना तथा उन्हें कानूनी सलाह प्रदान करना।

(16) समाज कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय, कपार्ट इत्यादि/केन्द्र/राज्य के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। कार्यक्षेत्र में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार तथा उनके विभागों/अनुभागों द्वारा चलाई जा रही है योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिये (सेतु) का कार्य करना। (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, खेल कूद मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय)

(17) विद्यालय, दयनालय, निःशुल्क औषधालय, अनाथालय, व्यायामशाला, ऑल्ड-एज होम गौशाला इत्यादि का निर्माण करना तथा व्यवस्था करना।

(18) प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल, इण्टर मीडिएट, महाविद्यालय इन्जीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज तथा जन शिक्षण संस्थान की स्थापना करके शिक्षा प्रदान करना तथा निर्धन छात्र-छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। इसके लिये प्रतियोगी पाठशाला, मदरसा आदि की व्यवस्था करना। सभी के लिये शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा प्रदान करना।



21

Joint Report: Khetwadi

*Handwritten signature*

Kamala Tiwari

Secretary

Centre for Sustainable Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211001

30.4.20

Ministry of Social Justice & Empowerment  
Department of Poverty Alleviation  
Allahabad-211001

(19) संस्था का मुख्य उद्देश्य गैर लागूकारी (पेरिटेविल) संस्था के रूप में सम्पूर्ण आय को संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं सामाजिक कार्य पर व्यय करना तथा उद्देश्य पूर्ति हेतु सरकारी अर्द्ध सरकारी रचनात्मक संस्थाओं, व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों, केन्द्रीय/राज्य सरकारों से दान-अनुदान तथा चल-अचल सम्पत्ति व ऋण प्राप्त करना तथा उनका उपयोग संस्था के उद्देश्य पूर्ति में करना।

(20) कार्यक्षेत्र में विज्ञान, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास करना एवं श्रमिक, महिला दलित, आदिवासी समुदाय, युवको व वृद्धों के शैक्षिक, सामाजिक सांस्कृतिक चारित्रिक, वैज्ञानिक एवं रचनात्मक विकास करना। इस कार्य हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चलाना तथा उनके क्रियान्वयन हेतु कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत संस्था की शाखाओं, केन्द्रों, संस्थाओं को खोलना तथा चलाना।

(21) कार्यक्षेत्र में ग्रामीणों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, आदर्श प्रदान करना। इसके लिये कृषि की आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रशिक्षण में भाग लेने का अवसर प्रदान करना निःशुल्क साहित्य उपलब्ध कराना।


(22) व्यावसायिक शिक्षा, कृषि, शिक्षा, प्रचार-प्रसार के लिये केन्द्रों को खोलना तथा प्रयोग करना। प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(23) स्वैच्छिक संस्थाओं की कार्य क्षमता बढ़ाने में सहयोग करना, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, साहित्य उपलब्ध करना एवं अनुसंधान कार्य करना।

(24) इस्तकला प्रशिक्षण (कढ़ाई-धुलाई, मूज के समान इत्यादि) के द्वारा रोजगार को अवसर प्रदान करना। -

(25) प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जैसे इन्फोर्मेसियन, मैनेजमेन्ट कम्प्यूटर एप्लीकेशन, पर्यावरण, एग्रीकल्चर, मेडिकल एजुकेशन, इन्टेल आइन्स डेवलपमेन्ट आफ रिक्लस (आर्ट, काफ्ट, मोट, मैकेनिक, वेल्डिंग) में सर्टीफिकेट सिस्टम, एवं डिग्री एव मास्टर डिग्री लेवल कोष के लिए संस्थान/कॉलेज की स्थापना करना।

(26) प्राथमिक, हाईस्कूल, फारेस्ट्री, इन्टरमीडियेट, शांति एव ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण विकास से सम्बंधित योजनाओं पर फन्डालटेन्सी तथा शिक्षा एवं ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करना।



Handwritten signatures and names in Hindi, including 'Shubh Kapoor' and 'Kamala Devi'.

Secretary  
Uttaran-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211001

Secretary  
Uttaran-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211001

- (27) उपरोक्त धार्यों के लिए सरकारी, अर्ध सरकारी, इन्स्टी तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों संस्था के हित के लिए उपर्युक्त हो से वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
- (28) वे सभी कार्य करना जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 1860 के अंतर्गत निहित है।



कार्यकारिणी समिति के सदस्यों/पदाधिकारियों का पता व्यवसाय तथा पद जिन्हें समिति के नियमावली के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्र.सं.	नाम	पुत्र	पता	व्यवसाय	पद
1	डा. जी.एन. त्रिपाठी	रवो पी. पी. त्रिपाठी	18ए आकॅलण्ड रोड इ. नाहायाद	सदस्य योजना आयोग भारत सरकार	अध्यक्ष
2	डा. सुबोध कुमार	रवो एस.एन. त्रिपाठी	पी/304 व्यागरज गारल-नी, धातणरी	नीचरी	उपाध्यक्ष
3	डा. कोरत कुमार	रवो रामू नाथ	102 पी/3 वेनीगज इ. नाहायाद	सामाजसेवी	सचिव
4	डा. आरती त्रिपाठी	पत्री आरुलोप त्रिपाठी	52 ए जवाहर लाल नेहरू रोड इला.	गृहणी	समुक्त सचिव
5	राम आसरे यादव	रवो एस. एस. यादव	7/2 रामू स्टेट इलाहाबाद	नीचरी	सदस्य
6	कामना त्रिपाठी	धीरेन्द्र कुमार	109 ए/2 वेनीगज इ. नाहायाद	गृहणी	सदस्य
7	राकेस कुमार	पुत्र बल्लभ प्रसाद शुक्ल	प्रक्रिय वेजरा प्रसापगद	नीचरी	सदस्य

इस निम्न लिखित हस्ताक्षरकर्ता संस्था को उपरोक्त स्मृति-पत्र के अनुसार सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के 21ए1860 के अंतर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं।

दिनांक 20.9.02

12/

Arati Tripathi KK Bhushan Kumar

प्रक्रिय वेजरा  
30.9.02

Kamana Tiwari

राकेस कुमार

Secretary  
Urban-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
M. N. H. Society, Nahabail-211001

30.9.02

Secretary  
Urban-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Ahmedabad-211001

## निपत्रावली पत्र

संस्था का नाम : उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट  
एण्ड पावर्टी एलीमिनेशन  
संस्था का पता : 18 ए' आकलैण्ड रोड,  
इलाहाबाद (उ०प्र०)  
कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत



संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

वह व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो तथा संस्था के उद्देश्यों में विश्वास रखता हो, यातिलि हो, नियमावली के अनुरूप आचरण के तत्पर हो, संस्था के सचिव के नाम सदस्यता हेतु लिखित आवेदन करके सचिव की संस्तुति के पश्चात संस्था की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। सभी सदस्य को रू० 10/- पंजीकरण शुल्क (केवल एकवार) आवेदन पत्र के साथ देना होगा। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक नए सदस्य बनाये जायेंगे।

(अ) संस्थापक सदस्य:-

(क) जो व्यक्ति रू० 10,000/- नगद या चल/अचल सम्पत्ति एक मुश्तदान देगा। वही संस्था का आजीवन संस्थापक सदस्य बन सकता है। इसके लिए भी सचिव की संस्तुति आवश्यक है।

(ख) सभी संस्थापक सदस्य संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। उनके त्याग पत्र देने या मृत्यु होने की स्थिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति उनका वैधानिक उत्तराधिकारियों में से सचिव/प्रबन्धकारियों के अनुमोदन पर घयन किया जाएगा।

(ब) आजीवन सदस्य:

जो संस्था को रू० 5000 (पांच हजार मात्र) एक मुश्त चल/अचल सम्पत्ति या नगद धनराशि देगा, उसी सचिव व प्रबन्धकारिणी की संस्तुति पर आजीवन सदस्यता प्रदान की जायेगी।

12/

Dr. Bipasha Kishore

*[Signature]*

*[Signature]*  
2021

Uttaran Centre for Sustainable Development & Poverty Alleviation  
Lucknow, Uttar Pradesh

Secretary  
Uttaran-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Lucknow-211001

(स) सामान्य वार्षिक सदस्य:-

जो व्यक्ति संस्था 24/- प्रति वर्ष या 250 2/- मासिक देने पर संस्था की साधारण वार्षिक सदस्यता प्रदान किया जाएगा।

(द) विशेष सदस्य:-

जो व्यक्ति संस्था के हित में कार्य करेगा, उसे संस्था द्वारा मनोनीत करके विशेष सदस्यता प्रदान किया जाएगा। इनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। किसी भी स्थिति में इनकी संख्या 11 से अधिक नहीं होगी। इसमें 6 सदस्य स्वीच्छक स्वयंसेवी संस्थाओं से एक महिला, एक अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग से नैना आवश्यक है। उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(5) सदस्यता की समाप्ति:-

(क) मृत्यु होने पर, भागल, कोढ़ी, दिवालिया होने जानें पर न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक कार्य में दंडित होने पर, संस्था विरोधी कार्य करने पर लगातार 3 बैठकों में बिना उचित कारण बताये अनुपस्थित रहने पर, तीन माह तक लगातार शुल्क नहीं जमा करने पर, त्याग पत्र देने पर या प्रबन्धकारिणी/साधारण सभा के 2/3 बहुमत से अविश्वस्य प्रस्ताव स्वीकर होने पर सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी।

(ख) संस्थापक सदस्यों/आजीवन सदस्यों की सदस्यता, मृत्यु होने पर या स्वतः त्याग पत्र देनपर समाप्त होगी।

(3) संस्था के अंग:-

(क) साधारण सभा

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति

(7) साधारण सभा:-

(अ) गठन: संस्था के सभी सदस्यों (संस्थापक, सामान्य वार्षिक सदस्य एवं विशेष सदस्य) को लेकर साधारण सभा गाना जायेगी।

(ब) बैठक: साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित किया जायेगा। विशेष बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्ष के अनुमोदन पर या 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित मांग पर बुलाई जायेगी।



121

Sub Tripartite Kktewar

Bhuvan

Secretary

Uthman-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Aizhabad-211001

50-9-03

(स) सूचना अवधि: साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 48 घंटा पूर्व प्रसारित की जायेगी।

(द) गणपूर्ति : कुल सदस्यों का 2/3 गणपूर्ति वाली जायेगी। प्रथम सूचना प्रसारित होना यदि गणपूर्ति नहीं होती तो सचिव द्वारा दूसरी सूचना भेजकर एक सप्ताह के अन्दर पुनः बैठक बुलाई जायेगी, जिसमें उपरिथत सदस्यों को ही गणपूर्ति (कोरम) मान लिया जायेगा।


(ए) वार्षिक वार्षिक अभिवेशन : संस्था एक वार्षिक वार्षिक अभिवेशन आयोजित करेगी। जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी द्वारा निश्चित की जायेगी।

(छ) साधारण सभा के कार्य : प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना वार्षिक रिपोर्ट, बजट का अनुमोदन करना, नियमावली, स्मृतिपत्र में संशोधन करना। अन्य उन सभी विषयों पर निर्णय लेना, जिस पर प्रबन्धकारिणी समिति निर्णय नहीं ले सके।

#### 7. प्रबन्धकारिणी समिति :

(अ) गठन: साधारण सभा के द्वारा ही प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव होगा। जिसमें पदाधिकारी व सदस्यों की संख्या किसी भी स्थिति में 7 से अधिक नहीं होगी। इसमें निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे।

1. अध्यक्ष (एक)
2. उपाध्यक्ष (एक)
3. सचिव (एक)
5. कार्यकारिणी सदस्य (तीन)



संस्था की प्रबन्धकारिणी के लिए संस्थापक सदस्य, आजीवन सामान्य तथा विशेष सदस्यों में एक-एक प्रतिनिधि का होना अनिवार्य है। अजीवन/विशेष सदस्य उपलब्ध नहीं हान का स्थान में उसकी पूर्ति संस्थापक/सामान्य सदस्यों में से किया जायेगा।

(ब) बैठक: प्रबन्धकारिणी की सामान्य बैठकों का आयोजन वर्ष में तीन बार होना आवश्यक है। विशेष बैठक आवश्यकता अनुसार सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है।

121

Dr. Tripathi K.K. Kulkarni

Secretary

Kamala Tiwari

Urthan-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Amahabad-211001

Urthan Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Amahabad-211001

7.02

(स) सूचना अधि : प्रबन्धकारिणी की सामान्य बैठकों की सूचना 5 दिन पूर्व तथा विशेष बैठकों की सूचना 24 घण्टा पूर्व प्रसारित करना आवश्यक है।

(द) गणपूर्ति (कोरम) : कुल पदाधिकारियों एवं सदस्यों का 2/3 उपस्थिति गणपूर्ति(कोरम) मानी जायेगी। प्रथम बैठक में गणपूर्ति नहीं होने पर सचिव तीन दिन के भीतर पुनः बैठक बुलायेगा, जिसमें उपस्थित सदस्यों एवं पदाधिकारियों की संख्या का ही कोरम माना जायेगा।

(घ) रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्ध कारिणी समिति में हुए आकिस्मक रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी के वर्ग के सदस्यों द्वारा या उसी वर्ग के सदस्य उपलब्ध नहीं होने पर सामान्य सदस्यों में से, <sup>सामान्य</sup> द्वारा किया जायेगा। जिसका अनुमोदन चार माह के भीतर प्रबन्धकारिणी/साधारण सभा द्वारा होना आवश्यक है।

- (1) समिति के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति कराने, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की स्थापना करना, संचालन करना व प्रबन्ध करना।
- (2) कार्यक्रमों के क्रियान्वयन करने के लिए वैतनिक/अवैतनिक कार्यकर्ताओं/कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
- (3) आवश्यकता के अनुसार सदस्यों को बढ़ाने व सदस्यता समाप्त करने आदि का निर्माण लेना। संस्था के वित्तीय खाते व वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना/अनुमोदन करना। नियम उपनियम बनाना। संस्था के वित्तीय संसाधनों को जुटाना। चल-अचल सम्पत्ति का संग्रह करना। दान लेना व देना। निर्माण करना कचरा-निष्काशन करना व अपनी संस्था की शाखाओं व केंद्रों की स्थापना सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत करना। कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत करना। कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।



Secretary  
Urban-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211001

Dub Tripartli K...  
Kamran...  
Secretary  
Urban-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211001

30-9-02

(ग) धन उपलब्ध होने पर सचिव/किसी सदस्य/पदाधिकारियों का मानदेय निर्धारित करना। कार्यक्रमों का संचालन करना तथा निर्णय लेना। आय-व्यय के आर्थिक संसाधनों को बढ़ाना आदि।

(झ) कार्यकाल : प्रबंधकारिणी सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। प्रत्येक पदाधिकारी/सदस्य का कार्यकाल उसके उत्तराधिकारी चुने जाने तक होगा। विशेष परिस्थितियों में कार्यकारिणी के अनुमोदन पर कार्यकाल एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

9. मताधिकार:- सभी प्रकार के सदस्यों (संस्थापक/आनीमान/विशेष सहयोगी/सामान्य) को वोट देने का अधिकार होगा।

10. संस्था के आय के स्रोत :-

संस्था के आय के निम्न लिखित स्रोत हैं।

1. दान, अनुदान, द्वारा एकत्रित आय।
2. सदस्यता शुल्क से अर्जित आय।
3. शरणा के आर्थिक संसाधनों से अर्जित आय।
4. व्यक्तियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि से प्राप्त अनुदान।
5. घल-अघल सम्पत्ति से अर्जित आय।
6. ग्राम पंचायत/ब्लाक/जनपद/प्रदेश स्तर भारत सरकार/विदेशी सरथाओं से प्राप्त



7. प्रदेश सरकार, भारत सरकार, स्थैच्छिक संस्थाओं, कार्ययमों के कियान्वयन से प्राप्त आय।

8. संस्था के उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं उनके विभागों/अनुभागों, वित्तीय निगमों, अकादमियों स्वायत्तशापी संस्थाओं बोर्डों, निगमों शिक्षा विभागों, प्रौढ शिक्षा। निदेशालय, राज्य समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कर्पाट, यूरोप, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, खासी मामलों में वित्त पोषक संस्था से अर्जित आय जो दान/अनुदान या ऋण, के रूप में प्राप्त हो।

124

Anil Tripathi  
Secretary

K. K. Tewari  
Secretary

Secretary  
Urban-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211001

Urban-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211001

Allahabad-211001

9. इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम से प्राप्त आय।

11. प्रयत्न कारिणी समिति के पदाधिकारी के अधिकार व कर्तव्य:-

1. अध्यक्ष :

इसका चुनाव/ संस्थापक/ विशेष सहयोगी सदस्यों में से होगा। मत देने का अधिकार सभी वर्गों के सदस्यों को होगा।  
कार्य : सचिव की संस्तुति पर समस्त प्रकार के बैंकों की तिथि का अनुमोदन करना/ रथगन/ निरस्तीकरण करना। आयोजित बैठकों की अध्यक्षता करना। किसी विषय पर बराबर-बराबर मत आने पर अपने विशेष मत का प्रयोग करना, जो एक निजी मत के अतिरिक्त मत होगा।

2. उपाध्यक्ष :

इसका चुनाव सामान्य सदस्यों में से होगा। सभी वर्गों के सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा।  
कार्य : अपने अधिकारों का उपयोग करना। अध्यक्ष की लिखित निर्देशों के अनुसार कार्य करना।



3. सचिव :

इसका चुनाव केवल संस्थापक सदस्यों में से होगा। जिसे सभी वर्गों के सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा। यह प्रत्येक समितियों का पदेन सचिव होगा। यह इस समिति व उसके द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का मुख्य संचालक होगा।

इस समिति द्वारा संचालित संस्थाओं का प्रबंधक/व्यवस्थापक होगा।

विभाग विभाग विद्यालय प्रशासन योजना व राज्य सरकार केन्द्र सरकार एवं अन्य विभिन्न विभागों द्वारा संस्थाओं के सचिव/मंत्री या प्रबंधक/व्यवस्थापक, निदेशक को प्राप्त होने वाले सभी अधिकारों का पालन व प्रयोग करना।

121 संव।

Auti Tripathi, K.K. Tewari, Jeevan Kumar

Prakash Prakash, Kishana Tiwari

Handwritten signatures and text at the bottom center.

Secretary  
Urban-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Aharanad-211001

4. समस्त प्रकार की वित्तीय सहायता दान अनुदान चन्दे आदि निधियों को प्राप्त करना व उनकी प्राप्ति पर हस्ताक्षर करना। आय-व्यय का मदवार तिथिवार लिखना वार्षिक बजट व वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, आडिट हेतु प्रपत्र तैयार करना।
5. संस्था की चल-अचल सम्पत्ति विषयक अनुबन्धों, दरतावेजों व शर्तनामों पर संस्था के प्रधान की हसियत से हस्ताक्षर करना।
6. समस्त प्रकार के सदस्य बनाना उनका रिकार्ड रखना जिन सदस्यों द्वारा शुल्क राशि न जमा करायी गई हो उनका नाम सदस्यता सूची से हटाना।
7. संस्था के सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना।
8. संस्था का प्रतिनिधित्व समस्त सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में करनी या बिग्री की भेजना।
9. संस्था के समस्त रिकार्ड व रजिस्टर आवश्यक दस्तावेजों आदि को तैयार करना व उन्हें प्रमाणित करना।
10. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना व प्रबन्धकारिणी समिति व साधारण सभा के अधियेशन में प्रस्तुत करना।
11. संस्था का प्राप्त धन संस्था के खाते में जमा करना व अपने हस्ताक्षरों से निकालना आदि। यदि शासन के किसी नियम या योजना के अन्तर्गत संस्था का खाता संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित होना अनिवार्य होगा, तो सचिव के साथ किसी पदाधिकारी/सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर कराये जायेंगे।
12. संस्था द्वारा अथवा विरुद्ध होने वाली समस्त अदालती कार्यवाहियों में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
13. संस्था के धारित प्रस्तावों को कार्यरूप प्रदान करना।
14. संस्था के नियम उपनियम बनाना।
15. संस्था के विपदा के लिए हर समय प्रयास करना।



Secretary  
Urban-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211001

#### 4. संयुक्त सचिव:

सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव उन समस्त अधिकारों का पालन व प्रयोग करेगा, जो सचिव द्वारा उसे लिखित रूप में दिये गये हैं।

*[Handwritten signature]*

*Anil Tripathi*  
*[Handwritten signature]*

*Kamana Tiwari*  
*[Handwritten signature]*

5. प्रबन्धकारिणी सदस्य:-

1. इसका चुनाव सामान्य सदस्यों में से होगा । मत देने का अधिकार सभी वर्गों के सदस्यों को होगा ।
2. यह सचिव की अनुपरिधि में सचिव के उन समस्त अधिकारों का पालन व प्रयोग करेगा जो सचिव द्वारा उसे लिखित रूप से दिये गये हों ।
2. इसका चुनाव सामान्य विशेष आजीवन व संस्थागत सदस्यों में से होगा ।
4. इनका मुख्य कार्य कार्यक्रमों के कियान्वयन में अपना सहाय व मत देना ।
5. साधारण सभा के 2/3 बहुमत से संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन एवं परिवर्तन करेगा ।

12. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

साधारण सभा के 2/3 बहुमत से संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्तन स्वीकार होंगे ।

13 संस्था का कोष :-


संस्था का समस्त कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक/पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम धरत खाता (सेविंग एकाउन्ट) खोलकर जमा किया जाएगा । जिसका संचालन सचिव के हस्ताक्षर से होगा । यदि शासन के किसी नियम या परियोजना के अन्तर्गत संस्था का खाता संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा तो सचिव के साथ किसी पदाधिकारी या सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा ।

14. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण :-

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किसी मान्यता प्राप्त का लेखा परीक्षण एकाउन्टेंट द्वारा कराया जायेगा ।

15. संस्था के अभिलेख :-

- सदस्यता रजिस्टर
- कार्यवाही रजिस्टर



Secretary  
Uttaran-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211001

संस्थानिका  
दिल्ली

Anti-Tripkati Kkdw...

Kamuna tisau

Handwritten signatures and notes at the bottom right.



# UTTHAN-CENTRE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION

Registered under Societies Registration Act XXI of 1860

Registration No. S-20394 of 1996

Registration No. 130230008 under Foreign Contribution (Regulation) Act, 1970

Exempted Income Tax No. 58-59/30/80C/Tech/Alld/2002-2003

NATIONAL N.G.O.

Uttar Pradesh Office :  
Dr. KAUSHAL KUMAR  
18-A, Auckland Road, Civil Lines  
Allahabad-211001 (U.P.) INDIA  
Tel: 0532-2615847  
0532-2420454, 2552226 (O)  
Mobile : 9335154677  
Fax : 0532-2420984, 2552112

Madhya Pradesh Office :  
DAYA SHANKAR MISHRA  
12/32, Amahiya  
Rewa- 486001 (M.P.)  
Phone: 07662-241001

Chattisgarh Office :  
DHARMESH DUBE  
Sakari, District Bilaspur  
Chattisgarh  
Phone : 07752-283317

Dr. D.N. Tewari  
PRESIDENT

Dr. Kaushal Kumar  
GENERAL SECRETARY

Ref. U.H. 22/12/2002


Date: 27/12/12


## RESOLUTION No. 63

It was resolved to establish a College in the name of Shambhunath College of Education at plot no. 89/0.1230, 90/0.2370 & 91/0.0400 with total area 0.4000 hectare of Village- Rahimabad, Allahabad. Utthan is allocating plot no. 89, 90 & 91 exclusively for the use of Shambhunath College of Education. The building constructed on plot no. 89, 90 & 91 exclusively used for Shambhunath College of Education.

It has also been decided to start D.E.C.Ed, D.El.Ed, B.El.Ed, B.Ed, M.Ed, D.P.Ed, B.P.Ed & M.P.Ed course with initial intake of 50 seats in each course.

For this Dr. Kaushal Kumar, Secretary, Utthan is authorized signatory as per the resolution no.25 already passed on dated 05-12-2005 meeting of executive committee.


  
(Dr. Kaushal Kumar)  
Secretary

  
Secretary

Utthan-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211001

Side MAP

Shamhunnath College of Education Rahimabad,  
Pipal Gaon, Allahabad





Shamhunnath  
College of Education

Secretary

Work on Road for Sustainable  
Development by  
Ain Road-21161

नजरी नक्शा मौजा - रहीमवादा परगना व तहसील सदर इलाहाबाद



1-57012  
नजरी

लाल सिंह यादव  
मालिक (इतिमी)

सदर-इलाहाबाद  
Court composed of one Judge  
The execution of the contents of the document executed by the executant who has been proved to be true is hence the contents of the same has been proved to be true.

115/12


I before me  
at P.M. in the  
District Allahabad.  
The contents of the document executed by the executant who has been proved to be true is hence the contents of the same has been proved to be true.

R.B. Singh  
Advocate Notary  
Allahabad



R.B. SINGH  
Notary  
Allahabad

Secretary  
Uttaran Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211002


SECTION OF STAIR



ELEVATION




GROUND FLOOR PLAN



FIRST FLOOR PLAN

AREA DETAILS		
S.NO.	DETAILS	SQ. MTRS
01	COVERED AREA ON GROUND FLOOR	1162.12
02	COVERED AREA ON FIRST FLOOR	1162.12

ALL DIMENTION IN MET.




SCALE : 1:..

CONSTRUCTED BUILDING MAP OF BHAMBHUNATH COLLAGE OF EDUCATION CHAK-RAHIMABAD-ARAZI.NO. 00-00-01 ALLAHABAD	
OWNER:- UTTAM CENTRE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION	BLOCK--A

Secretary Uttarak Centre for Sustainable Development & Poverty Alleviation Allahabad-211001	ARCHITECT PRENORA SINGH Archt.(Gold Medalist) C.O.A. Regd. No. CA/16/102 SINGH & ASSOCIATES
SIG. OF OWNER	CHECKED BY

कर्मचारी भवन - १३६९/७००  
 आवास सुलभता योजना - १९८०/७००  
 पं. नं. १३६९/७००



सिमांकरी लक्ष्मी सपुर  
 का नक्शा



Secretary  
 Utthan-Centre for Sustainable  
 Development & Poverty Alleviation  
 Allahabad-211001

(1369/700)  
 1369/700

Secretary  
 Utthan-Centre for Sustainable  
 Development & Poverty Alleviation  
 Allahabad-211001

अकाल कादेश दिनांक-08/5/12  
नारीय केसल - 08/5/12  
न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, इलाहाबाद।

वाद संख्या 30 सन 2012 अन्तर्गत धारा 143 उ०प्र०भू राजस्व अधिनियम  
ग्राम शाहा उर्फ पीपलगाँव एवं रहीमाबाद परगना व तहसील सदर इलाहाबाद  
उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलेपमेंट  
एण्ड पावर्टी एलिविश्मान इलाहाबाद प्रति उ०प्र०राज्य व अन्य  
द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी

निर्णय  
=====

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलेपमेंट एण्ड पावर्टी एलिविश्मान इलाहा-  
बाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व० शाम्भू नाथ तिवारी नि०  
102 बेनीगंज परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद ने ग्राम शाहा उर्फ पीपल  
गाँव परगना व तहसील सदर की अटोसं० 1 रकबा 0.0460हे०, अटोसं० 005 रकबा  
1.1350हे०, अटोसं० 06 रकबा 0.2790हे० व अटोसं० 02 रकबा 0.4140हे० व भौजा  
रहीमाबाद परगना व तहसील सदर की अटोसं० 89 रकबा 0.1230हे०, अटोसं० 091  
रकबा 1.6870हे०, अटोसं० 093 रकबा 0.3990हे० व अटोसं० 94 रकबा 0.6800हे०  
को आबादी/अकृषिक घोषित करने हेतु यह वाद दायर किया है।

इस पर तहसील से आख्या प्राप्त की गई। तहसील के नायब तहसीलदार  
दक्षिणी सदर की आख्या दिनांक 01-5-2012 जो तहसील सदर द्वारा  
दिनांक 02-5-2012 को संस्तुति सहित अग्रासारित है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। ग्राम शाहा  
उर्फ पीपलगाँव परगना व तहसील सदर की उद्हरण खतौनी 1418-1423फ० के खता  
संख्या 653 के अटोसं० 1 रकबा 0.046हे० व इसी ग्राम के खता संख्या 89 के  
अटोसं० 5 रकबा 0.1350हे०, अटोसं० 06 रकबा 0.2790हे० व अटोसं० 2 रकबा 0.  
4140हे० व ग्राम रहीमाबाद के खता संख्या 6 के अटोसं० 89 रकबा 0.4630हे०  
अटोसं० 91 रकबा 1.6870हे० तथा खता संख्या 7 के अटोसं० 93 रकबा 0.399हे०  
व खता संख्या 40 के अटोसं० 94 रकबा 0.680हे० पर आवेदकपक्ष का नाम बतौर  
संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। नायब तहसीलदार दक्षिणी की आख्यानुसार प्रश्नगत  
गाटों पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। सम्पूर्ण भूमि अकृषिक प्रयोग में  
लाई जा रही है। अतः इसे अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक अड़चन  
नहीं है।

आदेश  
=====

उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम शाहा उर्फ पीपलगाँव परगना  
व तहसील सदर जिला इलाहाबाद की खतौनी 1418-1423फ० के खता संख्या 653  
के अटोसं० 1 रकबा 0.046हे० खता संख्या 89 के अटोसं० 5 रकबा 0.1350हे०, अटोसं० 06  
रकबा 0.2790हे० व अटोसं० 2 रकबा 0.4140हे० तथा ग्राम रहीमाबाद परगना  
व तहसील सदर इलाहाबाद की खतौनी 1416-1421फ० के खता

Secretary

Urban-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211001

संख्या 6 के आ0सं0 89 रकवा 0-4630हे0, आ0सं0 91 रकवा 1-6870हे0, छाता संख्या 7 के गाटा संख्या 93 रकवा 0-399हे0 व छाता संख्या 40 के आ0सं0 94 रकवा 0-680हे0 जो उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबल डेवेलपमेंट एण्ड पावर्टी एलिवेशन 18ए जाकलैड रोड जिला इलाहाबाद के नाम से की अकृषक घोषित करते हुए भू-राजस्व से मुक्त कर प्रख्यापित किया जाता है। इस आदेश से किसी सहकारी के आंटा के क्षेत्रफल एवं स्थिति विशेष पर या स्वयं के क्षेत्रफल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज0वि0 अधिनियम की नियमावली के नियम 137 के अन्तर्गत इस आदेश की एक प्रति उप निबंधक सदर को निःशुल्क निबंधन हेतु भेजी जाय। परवाना जारी हो। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

॥ संतोष कुमार ॥  
उप जिलाधिकारी सदर  
इलाहाबाद।


सत्य प्रतीति लिपि।  
०९/०५/१२

दफ्तर सदर  
दयालय उप जिलाधिकारी  
इलाहाबाद

71  
के आदेश संख्या 09/05/12  
दिनांक तय्यारी नकल 09/05/12  
दिनांक नकल हेतु 09/05/12  
दिकान्त का मूल्य 13.000  
सदर लगभग 3000 रु।

०९/०५/१२

4  
13.000



रगना  
या 653  
106  
परगना  
छाता

Secretary  
UNHHR-CENTRE for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Anandpur-211001



गन्तव्य आदेश दि. 12/2/09

219249

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, झाहाबाद ।  
तद संख्या 10 मसु 2009  
आरा 143 उ० प्र० जमींदारी विन्याय अधिनियम ।  
ग्राम रहोमाबाद परगना व तहसील सदर, झाहाबाद ।  
उत्तान सेक्टर फार संस्टेबल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एक्सी ब्रिये  
। 8ए आकौण्ड रोड, आरा उपग्रह डा० दोना नाथ तिवारी



बनाम  
सरकार  
निर्णय

प्रस्तुत वाद वादो द्वारा इस कथ के साथ जो जित  
किया गया है कि ग्राम रहोमाबाद परगना व तहसील सदर, झाहाबाद  
को आराजी संख्या 26/0. 268, 30/0. 114, 58/0. 019, 59/0. 205,  
61/0. 104, 62/0. 200, 63/2. 425, 73/0. 563, 74/0. 203, 75/  
0. 073, 76/0. 016, 79/0. 171, 79/2 रकबा 1. 113, 82/0. 051, 56/0. 228  
84/0. 367, 100/0. 734, 90/0. 237, 111/0. 465, 112/0. 251  
के संक्रमणीय भूमिपर है तथा मौके पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है  
पिछले कई सालों से खेतों नहीं को जा रही है । उपरोक्त आराजी पर  
गम्भूनाथ इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी नाम विधालय  
को इमारत खड़ी है । इस आराजी के अगल बगल भी उक्त विधालय को  
इमारत बनी है । उत्तान संस्थान द्वारा के विकास हेतु शिक्षण कार्य  
तकनीकी माध्यमिक, उच्च शिक्षा एवं चिकित्सीय शिक्षा किया जा रहा  
है । इस कारण शिक्षण संस्था तकनीकी, चिकित्सीय माध्यमिक एवं उच्च  
शिक्षण हेतु अकृषिक घोषित किया जाय । पत्रावली तहसीलदार सदर को  
स्थलाय परीक्षण हेतु भेजी गयी । नायब तहसीलदार दक्षिणो द्वारा अपनी  
आख्या प्रेक्षित की जिसे तहसीलदार सदर द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित  
किया गया । मैंने पत्रावली पर उपग्रह राजकीय अभिलेखों एवं नायब  
तहसीलदार एवं तहसीलदार सदर को स्थलाय/अभिलेखीय आख्या का  
विधिवत परीक्षण किया । नायब तहसीलदार दक्षिणो द्वारा अपनी आख्या  
में यह अंकित किया गया है कि उपरोक्त आरा जियात वादो के नाम  
बतौर संक्रमणीय भूमिपर अंकित है । उक्त समस्त भूमियों पर कई वर्षों से  
कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि गैर कृषिक उपयोग हो रहा  
है । उक्त भूखण्ड को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़यन  
नहीं प्रतीत होता है । जिसे तहसीलदार सदर द्वारा संस्तुति सहित  
अग्रसारित किया गया है । चूंकि भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है  
बल्कि शिक्षण कार्य हेतु उपयोग उपभोग किया जा रहा है, इस कारण  
शिक्षण कार्य हेतु अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़यन नहीं  
प्रतीत होता है

क्रमगः-- 1-2

*[Handwritten signature]*

Secretary

Utthan Centre for Sustainable  
Development & Forest Restoration  
Amrahat-211001



आदेश


उपरोक्त विवेचना के आधार पर आदेश दिया जाता है कि स्थापित शिक्षण संस्थान को उपयोगित जो दृष्टिगत रखते हुए खेव कृषि कार्य न होने के कारण ग्राम रहोमाबाद परगना व तहसील सदर, इलाहाबाद जिला आराजो संख्या 26/0. 268, 30/0. 114, 58/0. 019, 59/0. 205, 61/0. 104, 62/0. 200, 63/2 425, 73/0. 563, 74/0. 203, 75/0. 073, 76/0. 016, 56/0. 328, 279/2 रकबा 1.113, 82/0. 051, 84/0. 367, 100/0. 734, 90/0. 237, 111/0. 465, 112/0. 251 हेतु व 79/0. 171 हेतु को शिक्षण संस्था तकनीकी, चिकित्सीय, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण हेतु अकृषि परीक्षित किया जाता है। तदनुसार परवाना जारी हो जायेगा जो सत्यापित प्रति उप निर्बंधक सदर, प्रथम/द्वितीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। शेष आवश्यक कार्यवाही पत्रावली से किताबत दफ्तर हो।

दिनांक - 17.2.2009

  
 आशुतोष कुमार द्वितीय  
 उप जिलाधिकारी, सदर  
 इलाहाबाद

110

25/2/09  
 25/2/09  
 25/2/09  
 लाला गोबिंद  
 13-10-

  
 आशुतोष कुमार  
 25/2/09  
 व्यायाम्य उ. द्वितीयकरी  
 सदर, इलाहाबाद



R.B. Singh  
Advocate Notary  
Allahabad

The document is  
 en... ..  
 Court compound  
 The execution of  
 of the document  
 executant who  
 true is hence the  
 S/No.....

R.B. SINGH  
Notary  
Allahabad

Secretary  
 Utthan-Centre for Sustainable  
 Development & Poverty Alleviation  
 Allahabad-211001

भाष्य गता एत...  
भूमिभार अंकित है।

**उद्धरण खतौना**

तहसील : SADAR

परगना सदर  
भाग : 1

ग्राम का नाम : रहीमा बाद  
फसली वर्ष : 1416-1421

टिप्पणी

परिवर्तन सम्बन्धी आजा बा  
उसका संरक्षण उनकी संख्या तथा  
दिनांक सही और आजा देने  
या स्थान खाने अधिकारी का पद

13

7-12

6

5

4

3

2

1-क भूमि जो संकम्पनीय भूमिपत्रों के अधिकार में हो।

उद्यानसेन्टर फारसस्टीबल डेवलप  
मेटएण्डपावटोपलौवांपेशन 18ए  
आकंन्तडरोडद्वारासचिव  
दोनानव तिवारी

1416फ.आदरानुसार श्रीमान उष जिलाधिकारी सर इला0

1409फ.	74	0.2030	1416फ.आदरानुसार श्रीमान उष जिलाधिकारी सर इला0
1409फ.	82व	0.0510	बाद सं.10 घरा 143उ0प्र0वि0अवि0 ता.फे.17-02-0
1409फ.	58मि.	0.0190	उद्यान सेन्टर फार सस्टीबल डेवलपमेंट एण्ड पाटी
1409फ.	73	0.5630	एसीसिेशन क्याम सरकार आदेश हुआ कि क्या
1409फ.	84	0.3670	खोयाबाद परगना ब तहसील सर इलाहाबाद की
1409फ.	62	0.2000	आ.संख्या 26/0.268, 30/0.114, 58/0.019, 59/
1409फ.	79	0.1710	0.205, 61/0.104, 62/0.200, 63/2.425, 73/0.56
1409फ.	90	0.2370	74/0.203, 75/0.073, 76/0.016, 79/2 / 1.113,
1409फ.	111	0.4650	82/0.051, 84/0.367, 100/0.734, 90/0.237
1409फ.	112	0.2510	111/0.465, 112/0.251, ब 79/0.171इ0 को
1409फ.	61	0.1040	रिक्शन संख्या तकनीकी चिकित्सीय एवं उच्च शिक्षण हेतु
1409फ.	75	0.0730	अनुषिक्त घोषित किया जाता है। 20-06-09
कुल गाटे :	12 कुल क्षेत्र :	2.7040	1.80

32-61-2-2-12=12

Secretary

Utthan-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211001

Secretary  
Utthan-Centre for Sustainable  
Development & Poverty Alleviation  
Allahabad-211001

पृष्ठ संख्या : 1 of 1